



HAPUR POLICE



OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करने के मामले में **एक आरोपी को 09 वर्ष का साधारण कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया ।**

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 28.09.2026 को मा0 न्यायालय के द्वारा “पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमला करने” के अभियोग में एक आरोपी को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 18.12.2016 को थाना हापुड़ नगर क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त आसिफ पुत्र शकील निवासी मौहल्ला छीपीवाड़ा थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमला करने की दुस्साहसिक घटना की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ नगर पर मु0अ0सं0 989/2016 धारा 147, 148, 149, 307, 420, 482 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 08.02.2017 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।
- आज दिनांक 28.09.2026 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी द्वितीय हापुड़ द्वारा 09 वर्ष का साधारण कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।
- अभियोजन विभाग से श्री आशीष कुमार (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री मुजमिल खान एवं पैरोकार म0है0का0 मधु व कोर्ट मोहररि म0है0का0 अंजली तोमर का विशेष योगदान रहा

